



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46940

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3208/2026

रजनेश कुमार

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजय मिश्रा, सत्य नारायण यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय मिश्रा ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, और उन्हें नविन याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त अनुमति के साथ वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

9 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।